न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 08/2023 दायरा दिनांक 17.10.2023
GCMS No. 2023/41

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

खेमराज पुत्र ग्यारसीराम जाति सहरिया निवासी प्रेमपुरा तहसील किशनगंज जिला–बारां।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला–बारां राजस्थान
2. कुन्ती पुत्री ग्यारसीराम जाति सहरिया निवासी प्रेमपुरा तहसील किशनगंज जिला–बारां।
3. सुनीता पुत्री ग्यारसीराम जाति सहरिया निवासी प्रेमपुरा तहसील किशनगंज जिला–बारां
4. भंवरलाल पुत्र ग्यारसीराम जाति सहरिया निवासी प्रेमपुरा तहसील किशनगंज जिला–बारां।
5. कमलाबाई पत्नि स्व. ग्यारसीराम जाति सहरिया निवासी प्रेमपुरा तहसील किशनगंज जिला–बारां।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :–

श्री रामकिशन नागर – अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय दिनांक 27.09.2024

अपील विरूद्ध नामान्तकरण नम्बर 168 दिनांक 25.12.2004 ग्राम खेरपुर

अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी इंतकाल नम्बर 168 दिनांक 25.12.2004 ग्राम खेरपुर को निरस्त करने बाबत इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, किशनगंज द्वारा प्रमाणित किया गया इंतकाल विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई ।

संक्षेप प्रकरण इस प्रकार से है कि वांके ग्राम खेरपुर पटवार हल्का बजरंगगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्टस् क्रम 2 लगायत 4 के शामलाती खाते की आराजी खसरा नम्बर 320 रकबा 0.8100 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 462/1 रकबा 5.00 बीघा) स्थित है। जिसको अपील में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2061–2064 के दौरान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्ट क्रम 2 लगायत 4 के पिता एवं रेस्पोडेण्ट क्रम 5 के पति ग्यारसीराम पुत्र लटूर कोम सहरिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जिनका निधन होने के पश्चात् वादग्रस्त आराजी का रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ने राजस्व अभियान के दौरान केम्प बजरंगगढ़ में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ग्यारसीराम का विरासतन इन्तकाल संख्या 168 दिनांक 25.12.2004 ग्राम खेरपुर खोलते समय मृतक ग्यारसीराम के विधिक वारिसान के नामों की सही जांच पडताल किये बिना गलत एवं मानमाने तरीके से अपीलान्ट का नाम खेमराज के स्थान पर परिवार में पुकारने वाले नाम भूरा उर्फ हेमराज के गलत नाम से रेस्पोडेण्टस् क्रम 2 ता 5 के साथ तस्दीक कर दिया। उस समय अपीलान्ट नाबालिग होने के कारण समझता भी नहीं था जबकि अपीलान्ट का वास्तविक एवं सही नाम खेमराज था। अतः भूरा उर्फ हेमराज दर्ज नहीं कर खेमराज दर्ज करना चाहिए था। इसलिए अपीलान्ट रेस्पोडेण्ट क्रम 1 द्वारा बिना जांच पड़ताल किये गये नामान्तरकरण संख्या 168 दिनांक 25.12.2004 ग्राम खेरपुर को निरस्त करवाकर मृतक ग्यारसीराम के स्थान पर रेस्पोडेण्टस् क्रम 2 लगायत 5 के नाम यथावत रखते हुये भूरा उर्फ हेमराज के स्थान पर खेमराज सही दर्ज करवाते

खेमराज

Scanned with OKEN Scanner

हुए नए सिरे से इन्तकाल तस्दीक करवाने का अधिकारी है और चालू राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भी भूरा उर्फ हेमराज के स्थान पर खेमराज दर्ज करवाकर खाता दूरस्त करवाने का अधिकारी है।

अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 168 दिनांक 25.12.2004 ग्राम खेरपुर की जानकारी दिनांक 16.08.2023 को उस समय हुई जब अपीलान्ट ने उक्त वादग्रस्त आराजी की इन्तकाल की नकल हल्का पटवारी से प्राप्त की इसलिए अपील पेश करने में हुआ विलम्ब कण्डोन किया जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम खेमराज के स्थान पर परिवार में पुकारने वाले नाम भूरा उर्फ हेमराज के गलत नाम से रेस्पोडेण्टस् क्रम 2 ता 5 के साथ तस्दीक कर दिया। उस समय अपीलान्ट नाबालिग होने के कारण समझता भी नहीं था जबकि अपीलान्ट का वास्तविक एवं सही नाम खेमराज हैं। मृतक ग्यारसीराम के स्थान पर रेस्पोडेण्टस् क्रम 2 लगायत 5 के नाम यथावत रखते हुये भूरा उर्फ हेमराज के स्थान पर खेमराज सही दर्ज करवाते हुए नए सिरे से इन्तकाल तस्दीक किया जावें। सम्पूर्ण कार्यवाही सर्वथा अवैध विधि विरूद्ध होने से नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया। विद्वान वकील ने कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम भूरा उर्फ हेमराज गलत दर्ज किया गया हैं, जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम खेमराज है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम खेरपुर का इंतकाल नं. 168 दिनांक 25.12.2004 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्ट के नाम की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल इंतकाल नं. 168 दिनांक 25.12.2004 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार किशनगंज को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner